

प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मिले विस्तार, सरस को बनाए राष्ट्रीय ब्रांड : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डेयरी विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी है, जो किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऐसे में प्रदेश में डेयरी द्वारा दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण अवसरचना के सुदृढीकरण के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए औसत दुग्ध संकलन एवं दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार किया जाए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक ली। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 2000 हजार करोड़ रुपये के राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड एवं सरस को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के साथ ही प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों व

पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोले जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि डेयरी उत्पादों की व्यापक ब्रांडिंग भी की जाए। शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए औचक निरीक्षण

किए जाएं एवं इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक मिल्क टेरिगिंग मशीन एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का सुदृढीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सहकारिता से समृद्धि के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने से किसानों की मजबूती मिलती है। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त विभागीय योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी एवं सुगम तरीके से दुग्ध उत्पादकों को अधिकारिक लाभ पहुंचाया जाए। साथ

■ 'प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर सरस आउटलेट खोलने के हो प्रयास'

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि "मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई करें, लापरवाही बरतने वालों पर भी हो सख्त कार्रवाई"

ही, तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए डेयरी क्षेत्र को और अधिक संगठित एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से आरसीडीएफ के मुनाफे में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में आरसीडीएफ के औसत दुग्ध संकलन से लेकर दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन एवं विविधकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

16 नदी बेसिनों के विकास के लिए प्लान तैयार करें : वी. श्रीनिवास

जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी प्लानिंग, सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश

जयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में शुक्रवार को राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण और जल संसाधन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्य की 16 नदी बेसिनों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्राधिकरण के आयुक्त अभय कुमार ने कार्य और प्रगति से अवगत कराया। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता राज पाल सिंह ने कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य सचिव ने जल उपलब्धता के आकलन और उसके समुचित उपयोग के राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राज्य में प्राधिकरण के महत्व को देखते हुए 16 नदी बेसिनों के समग्र विकास के लिए बेसिन-वाइज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल की

कमी वाले क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा नदी बेसिन मास्टर प्लान की गाइडलाइन एवं विकास से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही रिजर्वेशन मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण,

जयपुर द्वारा प्रगति पर आधारित विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव ने एमजेएसए 2.1 एवं 2.2 के तहत जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मोबाइल एप आधारित ट्रेकिंग और सर्वे को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान नदियों के पुनर्जीवन (पुनरुद्धार) परियोजना, जल शक्ति अभियान, जल संयंत्र जन भागीदारी, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम तथा विकसित भारत जी-राम जी अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा कर निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुनर्भरण योजना के तहत भूजल पुनर्भरण कार्यों को गति देने, जल संरक्षण में नवाचार अपनाने, नदियों के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने तथा इंदिरा गांधी नहर के मरम्मत कार्य और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

समिति सदस्य को 2 साल से भत्ता क्यों नहीं दिया?

हाईकोर्ट ने बाल अधिकारिता आयुक्त को अदालत में हाजिर होकर जवाब देने के आदेश दिए

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले की बाल कल्याण समिति की सदस्य को बीते दो साल से भत्ते का भुगतान नहीं करने पर 8 अप्रैल को बाल अधिकारिता आयुक्त एवं संयुक्त सचिव को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आयुक्त से यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचिकाकर्ता सदस्य को बीते दो साल का बकाया भत्ते का भुगतान क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि तब तक विभाग चाहे तो बकाया भुगतान कर सकता है। अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार के वकील भुगतान नहीं करने का कारण बताते हैं

असमर्थ हैं तो यह उचित है कि विभाग के आयुक्त को बुलाकर उनसे इस संबंध में जानकारी ली जाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपौठ ने यह आदेश कविता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिकारिता उमाशंकर पांडे ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जिला बाल कल्याण समिति में सदस्य के तौर पर अक्टूबर, 2023 में नियुक्त हुई थी। बाल अधिकारिता विभाग की ओर से समिति के सदस्यों को काम के बदले भत्ते का भुगतान किया जाता है। याचिका में कहा गया कि विभाग की ओर से मार्च,

2024 से याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की धनराशि भत्ते के तौर पर नहीं दी गई है। जिसके चलते उसे वित्तीय परेशानी भी उठानी पड़ रही है। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में विभाग में कई बार प्रार्थना पत्र पेश किए, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी उसे बकाया भुगतान नहीं हुआ है। वहीं विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस संबंध में जानकारी देने में असमर्थ है। इस पर अदालत ने विभाग के आयुक्त को हाजिर होने के आदेश देते हुए कहा है कि विभाग चाहे तो बकाया भुगतान कर सकता है।

जयपुर सहित 18 शहरों में बारिश-ओलावृष्टि



राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। फोटो-राष्ट्रदूत

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । पश्चिम विक्षोभ के असर से शुक्रवार को जयपुर सहित 18 शहरों में बारिश हुई। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर सहित अन्य कुछ शहरों में ओलावृष्टि देखने को मिली। इससे रबी की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। रैगिस्तानी इलाकों में ओलावृष्टि से कश्मीर देखा दृश्य बन गया।

खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में कहीं-कहीं आंधी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश पदमपुर, श्रीगंगानगर में 11.5 मिमी दर्ज की गई। सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन के साथ तेज आंधी (40-50किमी प्रतिघंटा) व बारिश दर्ज की गई तो वहीं कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी

हुई। 4 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में तेज आंधी-बारिश व कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। 5-6 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होने तथा 7 अप्रैल को एक और नया मजबूत विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में पुनः तेज आंधी-बारिश गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है कि खुले आसमान में पककर तैयार फसलों, कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व जिनसे को ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके।

शारीरिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

जयपुर । राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (दूरसंचार) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 को लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है।

विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को लॉगिन करने के पश्चात रिजल्ट में पोर्टल पर जाना होगा।

आरपीएससी अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले विशेषज्ञों की लें सेवाएं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 परीक्षा के दो उत्तरों को हटाने के आरपीएससी के निर्णय को गलत मानते हुए विशेषज्ञ के ज्ञान पर सवाल उठाया। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता के मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति पेश नहीं करने के कारण उसे राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले विषय विशेषज्ञों की ही सेवाएं लें। अदालत ने कहा कि एसाइ के जमाने में तथ्यहीन व गलत सूचनाओं के बजाय संचयन के आधार पर ही राय दी जानी चाहिए। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश पठन गर्ग

की याचिका को खारिज करते हुए दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरिहंत समदहिया ने परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों के 6 प्रश्नों के उत्तर को चुनौती दी थी। इनमें से एक प्रश्न था कि नागनाची मंदिर कहाँ है? जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने राजस्थान का इतिहास संबंधी पुस्तक के आधार पर कहा कि यह मंदिर बाडमेर के नामना गाँव में है और यह 1291 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके विपरीत आरपीएससी के विशेषज्ञ ने मंदिर जोधपुर के किले व बाडमेर के गाँव दोनों जगह होने के आधार पर जोधपुर व बाडमेर दोनों उत्तरों को सही माना। इसी तरह एक प्रश्न था कि उत्तरी गोलार्द्ध में दुनिया की कितनी

आबादी है? जिसका उत्तर आरपीएससी ने विशेषज्ञ की राय के आधार पर 90 प्रतिशत को सही माना। कोर्ट के ध्यान में आया कि इनमें से एक प्रश्न के मामले में विशेषज्ञ को इतिहास की जानकारी नहीं है, जबकि एक प्रश्न के मामले में विशेषज्ञ ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के बजाय अखबार में प्रकाशित लेख के आधार पर राय दी। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि विशेषज्ञ को ज्ञान नहीं है और उसकी क्षमता संदेहास्पद है। कोर्ट ने कहा कि उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है और आरपीएससी से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले विषय विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की अपेक्षा की जाती है।

आदर्श क्रेडिट सोसायटी घोटाले के आरोपियों और राजस्थान सरकार का वकील एक ही हैं, पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? : नेता प्रतिपक्ष

टीकाराम जूली ने प्रेस कॉफ्रेंस कर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा और उनकी लॉ फर्म "ऑरा एंड कंपनी" की भूमिका पर सवाल उठाया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को प्रेस कॉफ्रेंस कर राजस्थान की लाखों गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों का पैसा हड़पने वाले बहुचर्चित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा तथा उनकी लॉ फर्म ऑरा एंड कंपनी की भूमिका पर सवाल उठाया है।



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

जूली ने कहा कि इस घोटाले के आरोपियों और राज्य सरकार का वकील एक ही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस घोटाले के पीड़ितों के साथ डबल गेम खेल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 1999 में मुकेश मोदी और उनके परिवार द्वारा शुरू की गई इस सोसाइटी ने 2010 से 2014 के बीच करीब 22 लाख मामूली लोगों से 15 हजार करोड़ रुपये की टांगी की। जांच में सामने आया कि लगभग 125 फर्जी (शैल) कंपनियों के माध्यम से जनता का पैसा मोदी परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों तक पहुँचाया गया। बाद 2018 में की गई एफआईआर के बाद गिरफ्तारियां तो हुईं, लेकिन आज न्याय की उम्मीद पर सरकार के वकील ही पानी फेर रहे हैं।

जूली ने बताया कि अन्य आरोपियों के अतिरिक्त इसमें एक आरोपी सिद्धार्थ चौहान भी शामिल है। राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे शिवमंगल शर्मा और उनकी लॉ फर्म ऑरा एंड कंपनी का इस घोटाले के आरोपियों के साथ गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि इसी घोटाले में दो और मुकदमे गुडगांव एवं दिल्ली में चल रहे हैं। इन मुकदमों में सिद्धार्थ चौहान सह आरोपी हैं एवं अभी तक फरार होने के कारण भगौडा घोषित किया जा चुका है।

■ उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले के सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में पैरवी के लिए लॉ फर्म "ऑरा एंड कंपनी" नियुक्त है, जो वकील शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके साथियों की फर्म है। उन्होंने सवाल उठाया कि, "यह कैसे संभव है कि एक तरफ वही वकील दिल्ली में घोटाले के आरोपी को बचाने की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से पीड़ितों का पक्ष रखने का ढोंग कर रहे हैं?"

जूली ने कहा कि "यह कैसे संभव है कि एक तरफ वही वकील दिल्ली में घोटाले के आरोपी को बचाने की पैरवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से पीड़ितों का पक्ष रखने का ढोंग कर रहे हैं?"

पैसा गँवा चुके निवेशकों की आंखों में धूल झोंकना है।" जूली ने कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बार कार्डिसल ऑफ इंडिया का नियम 33 स्पष्ट रूप से किसी भी वकील को विरोधी हितों वाले पक्षों के लिए कार्य करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चंद्र प्रकाश त्यागी बनाम बनारसी दास मामले में व्यवस्था दी है कि वकील और क्लाइंट का संबंध विश्वास पर टिका होता है। जब वकील के पास दोनों पक्षों की गोपनीय जानकारी हों, तो न्याय

की निष्पक्षता खत्म हो जाती है। जूली ने कहा कि एक ही घोटाले से जुड़े मामलों में एक वकील दिल्ली हाईकोर्ट में सह-आरोपी की पैरवी कर रहा हो और वहीं सुप्रीम कोर्ट में उसी प्रकरण से जुड़े राज्य पक्ष (केस) में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उपस्थित हो, तो यह स्थिति स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की श्रेणी में आती है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि क्या अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा और ऑरा लॉ फर्म ने राजस्थान सरकार को यह जानकारी दी थी कि वे इसी घोटाले के सह-आरोपी के वकील के रूप में भी कार्य कर रहे हैं? यदि सरकार को इस तथ्य की जानकारी दी गई थी, तो फिर ऐसे हितों के टकराव वाले वकील को राज्य का पक्ष रखने के लिए नियुक्त करना पीड़ितों के साथ सरासर धोखा है। और यदि वकील द्वारा यह जानकारी छिपाई गई, तो क्या राजस्थान सरकार अब उल्टे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मामला दर्ज करने का साहस दिखाएगी?

पुलिस कमिश्नर आज करेंगे जनसुनवाई

जयपुर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल आज पुलिस थाना शिवदासपुर में जनसुनवाई करेंगे। यह जनसुनवाई दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें चाकसू सफ़िल के चाकसू, शिवदासपुर, सांगानेर सदर और कोटाखवादा थाना क्षेत्रों के परिवारियों की समस्याएं सुनी जाएंगी।

श्री महावीर साधना संस्थान की अपील खारिज

जयपुर (कास)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1, महानगर प्रथम ने श्री महावीर साधना संस्थान को आवंटित जमीन के उपयोग के मामले में सिविल कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना करते हुए उसे बरकरार रखा है।

■ सिविल कोर्ट का आदेश बरकरार

अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट का आदेश अपीलार्थी संस्थान की ओर से विवादित स्थल पर एक धर्म विशेष की मूर्तियां स्थापित करने और उसका उपयोग भी धर्म विशेष के लिए करने का तथ्य प्रमाणित करता है। ऐसे में निचली कोर्ट ने यह आदेश प्रार्थियों के पक्ष में सही तय किया है और इस आदेश की पुष्टि की जाती है। एडीजे कोर्ट ने यह आदेश श्री महावीर साधना संस्थान की अपील को सारहीन मानकर खारिज करते हुए दिया।

लेकिन एडीजे कोर्ट ने संस्थान की दलील नहीं मानी और निचली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। दरअसल सिविल कोर्ट ने शशि माधुर के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर 25 मार्च 2026 को फैसला देते हुए कहा था कि सामुदायिक केन्द्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो सकता और न ही वहाँ पर उस धर्म विशेष की मूर्तियां ही स्थापित हो सकती हैं। वहीं कोर्ट ने श्री महावीर साधना संस्थान के सचिव को पार्वत किया था कि वह उसे आवंटित जमीन का उपयोग करने और उसकी सुविधाओं के उपयोग करने के लिए आमजन को वंचित नहीं करे। जमीन पर एक धर्म विशेष की मूर्तियां स्थापित नहीं करे और न ही इसका उपयोग किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए करे।

अपील में कहा कि अप्राथी संस्थान सभी काम जनहित में करवा रही है और वहाँ पर योग ध्यान केन्द्र भी चल रहा है। ऐसे में निचली कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए,

"गहलोत-राठौड़ के बीच में मैं नहीं पडूंगा"

75 साल की राजनीति पर घनश्याम तिववाड़ी ने संतुलित प्रतिक्रिया दी

जयपुर। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिववाड़ी ने राजनीति में 75 वर्ष के बाद सन्यास के फॉर्मूले को लेकर चल रही बहस पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ दोनों ही विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए वे इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। तिववाड़ी ने स्पष्ट किया कि मोहन भागवत ने कभी भी राजनीति में उम्र के आधार पर कोई फॉर्मूला तय नहीं किया। उन्होंने खुद भी कहा है कि न तो वे रिटायर हो रहे हैं और न ही किसी को रिटायर होने के लिए कह रहे हैं। दरअसल, मंगलवार को मदन राठौड़ ने

■ तिववाड़ी ने कहा कि 'भागवत ने राजनीति में उम्र का कोई फॉर्मूला तय नहीं किया है'

अशोक गहलोत को 75 साल की उम्र पर करने के बाद सन्यास लेने की सलाह दी थी। इसके जवाब में गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि यह फॉर्मूला अगर लागू होता है तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर भी लागू होना चाहिए, उन पर नहीं। गहलोत ने यह भी कहा कि वे 100 साल तक जनता की सेवा करते रहेंगे।